

आर.ई.ओ.-69



जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

(संयोजित वितरण का निगम)

न्यू नगर अड्डा, इन्टरमीडियट क्षेत्र, जोधपुर 342 003 फोन नं 3291 2651337 (फै) 2651336 (मै) फैक्स नं 2741970

क्रमांक- प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पीपीएम/एजिडसायन/पेंसॉक 1548 जोधपुर दिनांक 29/1/2004

आदेश

विषय :- बड़े कृषि श्रेणी में हुये भार की स्तैच्छिक नियमन।

निगम द्वारा जनहित में कृषि के उपभोक्ताओं द्वारा बड़े हुये भार की 31 मार्च 2004 तक स्तैच्छिक घोषणा करने पर इस कार्यालय के आदेश संख्या क्रमांक-अप्रनि/जोडि/अनु-पीपीएम/प्र. 1468 जोधपुर दिनांक 15.1.04 (आर.ई.ओ.68) के द्वारा संचायते दी गई है।

निगम द्वारा विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि 31 मार्च 2004 तक विद्युत निगम के अधिकारीगण कृषकों के कुओं की सर्वे जांच करेंगे तथा स्थापित स्वीकृत भार से अधिक भार पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ता के स्वीकृत भार बिना किसी शुल्क के साथ बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे। इस सर्वे के दौरान कोई भी अधिभार के मामले न बनाकर ऐसे मामले तथा अभियान के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का त्वरित गति से बड़े हुये भार की स्वीकृति जारी की जावे तथा अगले माह से बड़े हुये भार के बिल जारी होना सुनिश्चित करे। इन सभी मामलों में सहायक अभियन्ता भार वृद्धि स्वीकृत करने के लिये अधिकृत रहेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(आर.एस.चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।